

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत


उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 69/24

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   |
|------------|---|
| 04/03/24   | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सल्लेरे के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कमला पुत्री रामदास</u><br/> <u>पत्नी श्री रामेश्वरदास बेशमी वॉरड 8</u><br/> निवासी-<u>दुवावा टाल बिलिया तह. भांडलगढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....<br/> <u>दुवावा (प.ह. लोणगा तह. बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>831</u><br/> <u>0-5800</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> ..... कुल रकबा <u>0-5800</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>दुवावा (प.ह. लोणगा तह. बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>831</u><br/> <u>0-5800</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> ..... रकबा <u>0-5800</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलदारी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500.00</u> रूपये अक्षरे <u>पत्र लोणगा</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्गित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>(बीनू देवल)</b><br/> सहायक कलक्टर एवं<br/> उपखण्ड अधिकारी<br/> चित्तौड़गढ़ (राज.) </p> |